मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन,भोपाल 462004

क्रमांक/पी.ए./प.स./स्कूल शिक्षा/ 4498
दिनांक 04/08/17

कमांक एफ–5–08/2018/1/4 भोपाल दिनांक 02 अगस्त,2018

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,म0प्र0 शासन, गृह/वित्त/संस्कृति/आदिम जाति एंव अनुसूचित जाति कल्याण/उच्च. शिक्षा/स्कूल शिक्षा/राजस्व/लोक निर्माण विभाग/जेल विभाग/महिला एवं बाल विकास विभाग,
2. मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव, मंत्रालय, भोपाल ।
3. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
4. सचिव,खेल एंव युवक कल्याण/जनसम्पर्क/वन/संस्कृति/विमानन विभाग मंत्रालय भोपाल ।
5. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल ।
6. आयुक्त,लोक शिक्षण/जनसम्पर्क/संस्कृति ,मध्यप्रदेश भोपाल ।
7. संचालक, एन.सी.सी./खेल एंव युवक कल्याण,मध्यप्रदेश भोपाल ।
8. कलेक्टर,जिला भोपाल म0प्र0 ।
9. पुलिस अधीक्षक,जिला भोपाल म0प्र0 ।
10. आयुक्त,नगर निगम, भोपाल ।

विषयः– 15 अगस्त, 2018 स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी हेतु दिनांक 26 जुलाई 2018 को सम्पन्न बैठक का कार्यवाही विवरण।

––0––

उपरोक्त विषयक 15 अगस्त 2018 को स्वतंत्रता दिवस मनाये जाने की तैयारियों के सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 26 जुलाई 2018 को सम्पन्न बैठक का कार्यवाही विवरण पालनार्थ प्रेषित है ।

(कमल नागर)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0क0 एफ 5–08/2018/1/4 भोपाल दिनांक 02 अगस्त, 2018

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव(समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय म0प्र0 शासन ,मंत्रालय,भोपाल
2. निज सचिव,अपर मुख्य सचिव, म0प्र0शा0 सामान्य प्रशासन विभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,सामान्य प्रशासन विभाग

समन्वय कक्ष

संचालक

स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त 2018 के आयोजन के संबंध में दिनांक 26 जुलाई 2018 को सम्पन्न बैठक का कार्यवाही विवरण

स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त 2018 समारोह को आयोजित करने के संबंध मे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 26 जुलाई 2018 को मंत्रालय के कक्ष कमांक 506 में बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है । बैठक में विचार विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिए गए:–

1. राजधानी भोपाल में मुख्य समारोह प्रतिवर्ष अनुसार सुबह 9–00 बजे मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाए ।

2. माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा शौर्य स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। उक्त कार्यकम राजधानी परियोजना एंव संस्कृति विभाग के सहयोग से किया जाए।

3. पुलिस, एस0ए0एफ0 ,सी0आई0एस0एफ0, एन0सी0सी, जेल गार्डस,होम गार्डस, स्काउट एवं गाईड तथा शौर्य दल की संयुक्त परेड आयोजित की जाए। शौर्य दल के परेड में शामिल होने के विषय में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कार्यवाही की जाए ।

4. संयुक्त परेड द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी को "गार्ड आफ ऑनर" दिया जाएगा ।

5. समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राष्ट्रीय ध्व्ज फहराया जाएगा व राज्य की जनता के नाम संदेश का वाचन किया जाएगा ।

6. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आयुक्त, भोपाल संभाग को रू0 2,50,000/–(रू0 दो लाख पचास हजार) की राशि एन0सी0सी केडेट्स/स्काउड गाईड के बच्चों को स्वल्पाहार हेतु एवं मुख्य समारोह के निमंत्रण कार्ड की छपाई हेतु दी जाए ।

7. गृह विभाग द्वारा पुलिस महानिदेशक को कार्यकम के लिए रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख)की राशि का आवंटन दिया जाए । विगत वर्ष की बकाया राशि का भुगतान पुलिस महानिदेशक को किये जाने हेतु सचिव,गृह द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाए ।

8. मोतीलाल नेहरू स्टेडियम के कार्यक्रम की पूर्ण व्यवस्था आयुक्त,भोपाल संभाग एंव पुलिस महानिदेशक द्वारा की जाएगी एवं पुलिस महानिदेशक,जेल विभाग और आयुक्त संस्कृति कार्यक्रम तैयार करने में पुलिस महानिदेशक का सहयोग करेंगे ।

9. गणमान्य नागरिकों एवं आमंत्रितों के लिये निमंत्रण पत्र छपवाने एवं वितरण का कार्य आयुक्त,भोपाल संभाग के द्वारा सम्पादित किया जाए।

10. समारोह स्थल पर समुचित एंव पर्याप्त बैठक व्यवस्था पुलिस महानिदेशक द्वारा सुनिश्चित की जाए।

11. आयुक्त, जनसम्पर्क द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश का प्रारूप तैयार किया जाएगा व इस प्रारूप पर माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमोदन प्राप्त किया जाकर मुद्रण पश्चात संबंधितों को वितरण कराया जाए।

12. भोपाल दूरदर्शन से समारोह का प्रसारण, रेडियो कार्यक्रम के कवरेज की व्यवस्था समारोह की झलक दूरदर्शन दिल्ली से हिन्दी एंव अंग्रेजी में राष्ट्रीय प्रसारण में दिखलाये जाने की व्यवस्था आयुक्त, जनसम्पर्क द्वारा की जाएगी । समारोह स्थल पर फोटोग्राफरो की बैठक व्यवस्था ऐसी की जाए कि आम जनता को कार्यक्रम देखने में व्यवधान उत्पन्न न हो ।

13. समारोह में शामिल होने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग एंव पुलिस महानिदेशक द्वारा समस्त अधिकारियों को परिपत्र जारी किया जाएगा। परिपत्र समय रहते जारी किया जाए ताकि सभी अधिकारियों को समय पूर्व परिपत्र प्राप्त हो सके ।

14. समारोह स्थल पर आवश्यकतानुसार साफ–सफाई, पीने का पानी, पानी के निकास, बेरीकेडिंग,पर्याप्त टायलेट आदि की व्यवस्था नगर निगम भोपाल द्वारा की जाए।

15. प्रदेश स्थित सभी सार्वजनिक भवनों एवं राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों पर दिनांक 14 एंव 15 अगस्त 2018 को रात्रि में प्रकाश की व्यवस्था की जाए।

16. रविन्द्र भवन, भोपाल में 15 अगस्त 2018 को सायंकाल सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन,संस्कृति विभाग द्वारा किया जाए । इस कार्यक्रम में पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम भी रखा जाए । इस सम्बन्ध में संस्कृति विभाग द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।

17. समाचार पत्रों में स्वाधीनता दिवस पर जारी किये जाने वाले विज्ञापनों को स्वतंत्रता संग्राम के नायकों की तस्वीरों व संदेशों पर केन्द्रित किया जाए। इसकी व्यवस्था आयुक्त, जनसम्पर्क द्वारा की जाए।

18. राजधानी में आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल एवं जिला स्तर पर कलेक्टरों के द्वारा मुख्य समारोह में सभी गणमान्य व्यक्तियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, कारगिल में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों एंव प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान पूर्वक आमंत्रित किया जाए ।

19. सभी सार्वजनिक भवनों में झंडा फहराया जाए । सभी शिक्षण संस्थाओं में पूर्व वर्षो के अनुसार प्रातः 8.00 बजे या इसके पूर्व ध्वजारोहण व राष्ट्रीय गान का सामूहिक गान किया जाए ।

20 मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गए कि समस्त अधिकारीगण अनिवार्य रूप से समारोह में उपस्थित रहें ।

• जिला ,विकास खण्ड एंव पंचायत स्तर पर समारोह का आयोजन—

राजधानी भोपाल के अतिरिक्त प्रदेश में जिला, विकासखण्ड एवं पंचायत स्तर पर स्वतंत्रता दिवस के समारोह के आयोजन के संबंध में निम्न विषयों पर निर्णय लिए गए :—

1. जिला स्तर पर माननीय विधानसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/मंत्री/ राज्यमंत्री द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा जिसकी जिलेवार सूची सामान्य प्रशासन द्वारा जारी की जाएगी।प्रतिवर्ष अनुसार राष्ट्रीय गान एंव पुलिस, होमगार्डस, एन.सी.सी.,एस.ए.एफ. इत्यादि द्वारा परेड का आयोजन किया जाएगा। मुख्य अतिथि द्वारा मान0 मुख्यमंत्री जी के संदेश का वाचन किया जाएगा, संदेश के अलावा कोई वाचन नही किया जाएगा ।

2. जनपद पंचायत मुख्यालय पर मान0जनपद अध्यक्ष द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। राष्ट्रीय गान का आयोजन किया जाएगा। ऐसी नगर पालिका/नगर पंचायत जिनका

मुख्यालय ब्लाक मुख्यालय पर नहीं है,उनमें अध्यक्ष नगर पालिका / नगर पंचायत द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए। पंचायत मुख्यालय पर सरपंच द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए।

3. सभी सार्वजनिक भवनों पर विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख द्वारा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एकत्रित कर ध्वजारोहण व राष्ट्रीय गान के कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। इस सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्देश जारी किए जाए ।

4. शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रीय ध्वज फहराने, राष्ट्रीय गान का आयोजन व सांस्कृतिक, साहित्यिक, मनोरंजन के कार्यक्रम,खेलकूद और वृक्षारोपण के कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। सभी शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रभात फेरी का आयोजन किया जाए ।

5. जिला,सम्भाग एवं राज्य स्तर पर स्कूल/कॉलेजों में राष्ट्रीय एकता के समूह गान एवं जिला मुख्यालयों पर स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया जाए । स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, एंव खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई ।

(कमल नागर)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/समन्वय/सी/2017/165 भोपाल, दिनांक 7.8.18

प्रतिलिपिः–

1. उप सचिव मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. वरिष्ठ निज सहायक, आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
3. वरिष्ठ निज सहायक, अपर परियोजना संचालक (आर.एम.एस.ए.) लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
4. वरिष्ठ निज सहायक,संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
5. समस्त अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
8. उप संचालक, भंडार स्थानीय लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
9. समस्त अधीक्षक/सहायक अधीक्षक/लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।

7/8/18

उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश